फद अहकाम

दयाल सिंह **बनाम** गजराज कंवर

नाम न्यायालय

केस संख्या 56/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/1/24	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। वादी का वाद मुताबिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियम अनुसार [illegible] से मन हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 46/2019
निर्णय दिनांक : 29.01.2024

1. दयाल सिंह पुत्र हरी सिंह उम्र करीब 60 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गजराज कंवर पुत्री स्व. कानसिंह बालिग
2. जगदीश कंवर पत्नि स्व. कानसिंह बालिग
3. दीपक सिंह पुत्र दिलीप सिंह बालिग
4. पूरण सिंह पुत्र शेर सिंह बालिग
5. भवानी सिंह पुत्र स्व. कानसिंह बालिग
6. मु. बदनकंवर पत्नि शेर सिंह बालिग
7. मंजू कंवर पत्नि दिलीप सिंह बालिग
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. कानसिंह सिंह बालिग
9. सोनू सिंह पुत्र स्व दिलीप सिंह बालिग
   जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील कार्यालय जिला जयपुर।
11. मोहरी लाल पुत्र लालाराम डागर (यादव) निवासी मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 एक ही परिवार के सदस्य होकर ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर के जन्मजात निवासी है। एवँ वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की शामलाती खातेदारी की सहखातेदारी की अविभाजित आराजी ग्राम मानपुरा माचेडी पटवार हल्का मानपुरा माचेडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मानपुरा माचेडी तहसील आमेर में स्थित खसरा नम्बर 1606 रकबा 0.38 हेक्टेयर है। इस शामलाती अविभाजित आराजी में वादी का रिकार्ड आफ राइट्स जमाबन्दी के अनुसार 1/4 हक व हिस्सा सहखातेदार के तोर पर है। आराजी खसरा नम्बर 1606 प्रतिवादी संख्या 1 गजराज कंवर का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश कंवर का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 दीपक सिंह का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 पूरण सिंह का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 भवानी सिंह का 1/16 हिस्सा, मु० बदन कंवर का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 मंजू कंवर का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 राजेन्द्र सिंह का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 सोनू सिंह का 1/18 हिस्सा रिकार्ड आफ राइट्स जमाबन्दी के अनुसार है। एवॅ मनबट बटवारे के अनुसार वादी अपने 1/4 हिस्से की आराजी पर काबिज होकर खुद काश्त करता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1606 चाही जमीन है जिसमें सिंचित काश्त करते है। इस आराजी का रिकार्ड आफ राइट्स जमाबन्दी के अनुसार 1.30 रूपया लगान है। प्रतिवादी संख्या 10 इस आराजी का लेण्ड होल्डर होकर राज्य सरकार की हैसियत से है। एवॅ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 इस आराजी के सहखातेदार काश्तकार है। वादी एक शान्तिप्रिय व्यक्ति है जो अपने 1/4 हक व हिस्से की आराजी पर शान्ति पूर्वक काश्त करके अपना शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 शामलाती आराजीयात में कृषि कार्य कम करके अन्य कार्यों में व्यस्त रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 वादी के 1/4 हक व हिस्से में शान्तिपूर्वक काश्त करने में सदैव बाधा उत्पन्न करते रहते है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को अनेको बार शामलाती सहखातेदारी की आराजी में रिकार्ड के अनुसार आराज[illegible] परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने सहमति के आधार पर शामलाती आराजीय[illegible]मा कराने से मना कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने आरा[illegible] धमकी देना प्रारम्भ कर रखा है। इस वजह से वादी को अपने [illegible] हक व हि[illegible] तकास्मा के लिए वाद तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आव[illegible] ने दिनाक 15 नवम्बर 2019 को वादी को ऐलानियॉ धमकी [illegible] हिस्से की आराजी में काश्त नहीं करने देगे एवं सम्पूर्ण शामलाती आराजीयात को बिना विभाज[illegible] ही अकृषि कार्य में लेगे इस प्रकार प्रतिवादीगण का इरादा वादी को उसके हक व हिस्से की आराजी 1/4 हिस्से की आराजी से गैरकानूनी तोर तरीके से जबरन बेदखल करने एवॅ सम्पूर्ण आराजी को अकृषि कार्य में लेने का है। इस वजह से

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वादी को वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अपने हको की रक्षार्थ प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः ग्राम मानपुरा माचेडी में स्थित आराजी खसरा नंबर 1606 रकबा 0.38 हैक्टेयर का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स में राजस्व रिकार्ड में हिस्से के अनुसार वादी का 1/4 हिस्से का विभाजन किया जाकर वादी का हक व हिस्सा की आराजी का अलग पर्चा कायम किया जाकर वादी के हिस्से की आराजी का अलग से लगान भी कायम किया जावे। वादी के हक व हिस्से की आराजी में वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलनदाजीन नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर नोटिस तलब किया गया। दिनांक 18.02.2020 को बावजूद तामिल नोटिस प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 8 अनुपस्थित अतः प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 19.07.2021 को प्रतिवादीगण 3, 6, 7, 9 की तामिल जारिये प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र के आदेश दिये गये। दिनांक 08.10.2021 को प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दिनांक 25.09.2021 पेश किया। दिनांक 23.03.2022 को प्रतिवादीगण 3, 6, 7, 9 बावजूद प्रकाशन नोटिस दैनिक समाचार पत्र अनुपस्थित अतः प्रतिवादीगण 3, 6, 7, 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 25.05.2022 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 30.06.2022 से पूर्व भिजवाई जावे। दिनांक 30.09.2022 को तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/6907 दिनांक 23.09.2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी। दिनांक 21.12.2022 को वादी द्वारा प्रा. पत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 धारा 151 सी.पी.सी बाबत प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 9 द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा क्रेता मोहरीलाल पुत्र लालाराम डागर को विक्रय किये जाने व उक्त विक्रय का नामांतरण स्वीकृत होकर क्रेता के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल हो जाने से प्रतिवादीगण 1 ता 9 का नाम हजफ कर क्रेता पक्षकार को प्रकरण में प्रतिवादीगण पक्षकार बनाये जाने का पेश किया। प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर क्रेता पक्षकार मोहरीलाल पुत्र लालाराम डागर को प्रतिवादी सं 11 को बतौर प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किए जाने के आदेश दिए गए। दिनांक 04.01.2023 को वादी की ओर से संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 19.07.2023 को प्रतिवादी सं 11 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामिल उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 08.01.2024 को प्रकरण मे कुर्रेजात रिपार्ट पर अंतिम बहस सुनी गयी। दौराने बहस उपस्थित वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत पेश नही की एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तकासमा किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्तागण की बहस एवं कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मानपुरा माचेडी पटवार हल्का मानपुरा माचेडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मानपुरा माचेडी तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1606 रकबा 0.38 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता हैः–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	दयाल सिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा.देह खातेदार, मोहरी लाल डागर पुत्र लाला राम डागर हिस्सा 3/4 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार	1606	0.38	चाही 1	13.30

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	दयाल सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	[illegible]	0.095	चाही 1	3.325
	कुल किता 1	1606	0.095	चाही 1	3.325
2	मोहरीलाल डागर पुत्र लालाराम डागर जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार	1606/[illegible]	0.285	चाही 1	9.975
	कुल किता 1	1606/1	0.285	चाही 1	9.975

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार आमेर को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामा राठौड़)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड़, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 46/2019

1. दयाल सिंह पुत्र हरी सिंह उम्र करीब 60 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गजराज कंवर पुत्री स्व. कानसिंह बालिग
2. जगदीश कंवर पत्नि स्व. कानसिंह बालिग
3. दीपक सिंह पुत्र दिलीप सिंह बालिग
4. पूरण सिंह पुत्र शेर सिंह बालिग
5. भवानी सिंह पुत्र स्व. कानसिंह बालिग
6. मु. बदनकंवर पत्नि शेर सिंह बालिग
7. मंजू कंवर पत्नि दिलीप सिंह बालिग
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. कानसिंह सिंह बालिग
9. सोनू सिंह पुत्र स्व दिलीप सिंह बालिग
   जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील कार्यालय जिला जयपुर।
11. मोहरीलाल पुत्र लालाराम डागर (यादव) निवासी मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है । वाके ग्राम मानपुरा माचेडी पटवार हल्का मानपुरा माचेडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मानपुरा माचेडी तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1606 रकबा 0.38 हैक्टेयर का तकासमा तहसीलदार आमेर जिला जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के मुताबिक वादी का वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	दयाल सिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा.देह खातेदार, मोहरीलाल डागर पुत्र लालाराम डागर हिस्सा 3/4 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार	1606	0.38	चाही 1	13.30
कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	दयाल सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	1606	0.095	चाही 1	3.325
	कुल किता 1	1606	0.095	चाही 1	3.325
2	मोहरीलाल डागर पुत्र लालाराम डागर जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार	1606/1	0.285	चाही 1	9.975
	कुल किता 1	[illegible]/1	[illegible]285	चाही 1	9.975

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा [illegible] अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये [illegible] निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ... .का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

ओहदा ....मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested